18.3.25	पत्रावली पेश हुयी पेशकार रिपोर्ट संलग्न पत्रावली है। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात व पेशकार रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। उक्त रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण को दुरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रकरण में निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली हो। पत्रावली कैफियत शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

उप खण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ जिला अलवर

पीठासीन अधिकारी :– सुरेन्द्र प्रसाद (आर.ए.एस)

प्रार्थना पत्र संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
03 / 68	26.06.2024	18.03.2025

उनवान

01. दीपा पुत्री फूलचन्द धोबी
02. पूनम पुत्री फूलचन्द जाति धोबी निवारियान ब्लॉक डी निहाल विहार नांगलोई पश्चिम दिल्ली 110041 काश्तकार वाके ग्राम केसरोली तहसील रामगढ
03. आरती पुत्री फूलचन्द जाति धोबी निवारी मलिकपुर कोहि रंगपुरी पहारी साउथ वेस्ट दिल्ली 110037

.... प्रार्थीगण

बनाम

04. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रामगढ

.... अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू.राजस्व अधिनियम मश्वरे दुरस्ती किये जाने बाबत।

निर्णय

प्रार्थीया दीपा, पूनम, आरती पुत्रीयान फूलचन्द काश्तकार वाके ग्राम केसरोली तहसील रामगढ द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र का विवरण संक्षेप में इस प्रकार है कि साविक खसरा नम्बर 168 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा, 248 रकबा 3 बीघा 3 बिस्वा, 253 रकबा 2 बीघा 9 बिस्वा जिसके हाल खसरा नम्बर 275 रकबा 0.20, 276 रकबा 0.12, 277 रकबा 0.10, 453 रकबा 0.40, 454 रकवा 0.40, 460 रकबा 0.31, 461 रकबा 0.31, 462 रकबा 0.51 हे0 का 1/8 हिस्सा वाके ग्राम केसरोली तहसील रामगढ जिला अलवर मे स्थित है। उपरोक्त आराजी इस प्रार्थना पत्र में विवादित आराजी है जो आगे प्रार्थना पत्र में विवादित आराजी से सम्बोधित की जावेगी। यह है कि प्रार्थीगण के पिता का नाम फूलचन्द पुत्र पन्नीलाल है, जैसा कि जमाबन्दी सम्वत 2038, पहचान पत्र, आधार कार्ड, मृत्यु प्रमाण दिनांक 13.05.2013 मे स्पष्ट अंकित है, जो सही है लेकिन राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के पिता का नाम जमाबन्दी सम्वत 2043 तैयार करते समय प्रार्थीगण के पिता का नाम फूलचन्द के स्थान पर मूलचन्द पुत्र पन्नीराम गलत दर्ज कर दिया। प्रार्थीगण के पिता का स्वर्गवास हो चुका है, प्रार्थीगण को अपने पिता की विरासत का नामान्तकरण दर्ज कराने में भारी परेशानी हो रही है। जबकि राजस्व

18/3/25

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ

कर्मचारियान की प्रार्थीगण के पिता के दस्तावेजात के आधार पर सही नाम फूलचन्द पुत्र पन्नीलाल की दर्ज अथवा अंकित था। फूलचन्द व मूलचन्द एक ही व्यक्ति के नाम है केवल मात्र जमाबन्दी तैयार करते समय राजस्व कर्मचारियान की गलती के कारण गलत नाम फूलचन्द पुत्र पन्नीलाल के स्थान पर मूलचन्द पुत्र पन्नीराम दर्ज है। जो गलत है उसे दुरूस्त कर उसके स्थान प्रार्थीगण के पिता का सही नाम प्रार्थीगण के पिता के दस्तावेजात व पूर्व राजस्व रिकार्ड के आधार पर फूलचन्द पुत्र पन्नीलाल दर्ज किया जावे। प्रार्थीगण राजस्व रिकार्ड मे राजस्व कर्मचारियान द्वारा सहवन से हुई त्रुटि को दुरूस्त करवाने व प्रार्थीगण अपने पिता की विरासत का नामान्तकरण दर्ज कराने के कानूनन अधिकारी है। प्रार्थीगण के पिता फूलचन्द पुत्र पन्नीलाल का स्वर्गवास हो चुका है प्रार्थीगण अपने पिता फूलचन्द पुत्र पन्नीलाल की विरासत का इन्तकाल दर्ज करवाने हेतु पटवारी हल्का के पास गया तो पटवारी हल्का ने राजस्व रिकार्ड को देखकर बताया कि आपके पिता का नाम मूलचन्द पुत्र पन्नीराम है मृत्यु प्रमाण पत्र व अन्य दस्तावेजात मे फूलचन्द पुत्र पन्नीलाल है। अलग अलग नाम होने के कारण आपका विरासत इन्तकाल दर्ज नही हो सकता। इसलिए मिन प्रार्थीगण को यह प्रार्थना पत्र दुरूस्ती करने की आवश्यकता पैदा हुई जो अन्दर अवधि प्रस्तुत है। प्रार्थीगण द्वारा एक प्रार्थना पत्र तहसीलदार रामगढ के यहा नाम दुरूस्ती का प्रस्तुत किया जिसमे तहसीलदार द्वारा साफ मना कर दिया गया कि हम आपके पिता के नाम को दुरूस्त नही कर सकते। सक्षम न्यायालय से आदेश लेकर आवे उसके बाद हम नाम दुरूस्त कर सकते है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ताहाल राजस्व रिकार्ड मे प्रार्थीगण के पिता का नाम साबिक खसरा न0 168 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा, 248 रकबा 3 बीघा 3 बिस्वा, 253 रकबा 2 बीघा 9 बिस्वा जिसके हाल खसरा नम्बर 275 रकबा 0.20, 276 रकबा 0.12, 277 रकबा 0.10, 453 रकबा 0.40, 454 रकबा 0.40, 460 रकबा 0.31, 461 रकबा 0.31, 462 रकबा 0.51 हे0 का 1/8 हिस्सा वाके ग्राम केसरोली तहसील रामगढ जिला अलवर मे मूलचन्द पुत्र पन्नीराम दर्ज रिकार्ड है। जो गलत है जो चौसाला की जमाबन्दी तैयार करते समय त्रुटि से नाम गलत दर्ज हुआ है उसे दुरूस्त कर उसके स्थान प्रार्थीगण के पिता का नाम फूलचन्द पुत्र पन्नीलाल आधार कार्ड पहचान पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र व पूर्व जमाबन्दी सम्वत 2038 इत्यादि दस्तावेजात के आधार पर दर्ज करते हुए मृतक फूलचन्द के वारिसान प्रार्थीगण के नाम समस्त राजस्व रिकॉर्ड मे दुरूस्ती व विरासत इन्तकाल दर्ज कराने के आदेश प्रदान करने की कृपा करे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी (पैरोकार सरकार) की ओर से न्यायालय में प्रार्थना पत्र के जवाब में रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी। जिसका विवरण इस प्रकार है कि हाल ख0न0 453 रकबा 0.40, 454 रकबा 0.40, 460 रकबा 0.31, 461 रकबा 0.31, 462 रकबा 0.51 हे0 का हि0 1/8 ग्राम केसरोली में प्रार्थी साबिक रिकॉर्ड जमाबन्दी सं0 2035-38 अनुसार फुलचन्द पुत्र पन्नीराम करवाना चाहता है। आधार कार्ड व पहचान पत्र अनुसार अनुतोष में फुलचन्द पुत्र पन्नीलाल का अनुतोष चाहता है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व अप्रार्थी (पैरोकार सरकार) की रिपोर्ट पर मनन किया गया। अप्रार्थी (पैरोकार सरकार) द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार भी नाम दुरूस्त किये जाने के सबंध में कोई आपत्ति नही की गई है। तथा विगत राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी एवं मिलान क्षेत्रफल के अनुसार भी सही नाम फुलचन्द पुत्र पन्नीलाल अंकित है। इस प्रकार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश किया जाता है कि राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी सं0 2075 (वर्ष 2018) से स्थायी के खाता सं0 नया 127 में मूलचन्द पुत्र पन्नीराम के स्थान पर फुलचन्द पुत्र पन्नीलाल दर्ज किया जाकर वांछित अनुतोष के अनुरूप दुरूस्त किया जावे। उक्त

18/3/25
उपखण्ड अधिकारी
रामगढ

मु0न0 03 / 68
उनवान दीपा वगै0 बनाम सरकार

दुरस्ती हेतु तहसीलदार रामगढ को अहमकाम जारी हो। पत्रावली फैशल शुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 18.03.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

18/3/25

([illegible])
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
रामगढ अलवर